

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त(वे0 आ0-सा0 नि0) अनुभाग-7  
संख्या: — /XXVII(7)/19-7(1)/2013  
देहरादून: दिनांक 26 नवम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप


उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006, अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक 7.9% (सात दशमलव नो प्रतिशत) होगी। उक्त दर 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

संख्या: 347 (1)/XXVII(7)/19-7(1)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, रिंग रोड, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
14. निदेशक, ऑडिट, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति की 50(पचास) प्रतियां मुद्रित कराकर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)  
अपर सचिव।